<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–84/2017</u>

रविन्द्र मिश्रा..वादी

बनाम

सुरेन्द्र मिश्रा एवं अन्य..प्रतिवादीगण

<u>22.08.2022</u> उभय पक्ष की पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.02.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 वो दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है।

वादी को अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–01 सुरेन्द्र मिश्रा की मृत्यु दिनांक 28.11.2021 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी संख्या–01 सुरेन्द्र मिश्रा के विधिक वारिसान के रूप में अपनी पत्नी चन्द्रमुखी देवी तथा दो लडके मनोज कुमार मिश्रा उर्फ राजेश मिश्रा तथा राजीव मिश्रा उर्फ मंटु मिश्रा एवं एक लडकी वीणा देवी को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–01 सुरेन्द्र मिश्रा का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय। जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है।

प्रतिवादीगण की ओर से वादी द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया है तथा आवेदन को खारिज करने योग्य बताया गया।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–01 सुरेन्द्र मिश्रा का मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। प्रस्तुत आवेदन इनके द्वारा समय सीमा से दाखिल किया गया है तथा आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। ऐसी दशा में न्याय हित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी संख्या–01 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उसके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तत्पश्चात वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। अभिलेख दिनांक 29.08.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)